

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 15/2023

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री सुनील मीणा उम्र 23वर्ष पुत्र सुरेन्द्र कुमार मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम हरिपुरा पोस्ट बटावदा तहसील एवं जिला बारों (विक्रेता) मैसर्स श्री राधे कृष्णा किराना स्टोर, एच पी पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, रजपाली जिला बारों (राज.)
2. सुरेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री छीतर लाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम हरिपुरा पोस्ट बटावदा तहसील एवं जिला बारों (मालिक) मैसर्स श्री राधे कृष्णा किराना स्टोर, एच पी पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, रजपाली जिला बारों (राज.)
3. मैसर्स श्री राधे कृष्णा किराना स्टोर, एच पी पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, रजपाली जिला बारों
4. श्री पंकज जायसवाल पुत्र सरवण लाल जायसवाल निवासी 5 के 23, महावीर नगर III, कोटा(मालिक) मैसर्स जायसवाल ट्रेडर्स कार्यालय 5 के 23, महावीर नगर III, कोटा (राज.)
5. मैसर्स जायसवाल ट्रेडर्स कार्यालय 5 के 23, महावीर नगर III, कोटा (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :- 1- श्री नीरज कुमार नागर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2- स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी क्रम 1 ता 5)

निर्णय दिनांक 21.02.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्गे श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2022 को श्री राधे कृष्णा किराना स्टोर, एच पी पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, रजपाली जिला बारों (राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री सुनील मीणा पुत्र सुरेन्द्र कुमार मीणा(विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/एफएसएसए/(एफ-28)नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण स.ज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया है और जिला बारों के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पेंक लकडी की रेक में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पेंक में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पेंक के 04 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री सुनील मीणा पुत्र सुरेन्द्र कुमार मीणा(विक्रेता) को 440/- रूपये (अक्षरे चार सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली के 04 मूल पैक पर ही लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1572 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1572 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री सुनील मीणा पुत्र सुरेन्द्र कुमार मीणा(विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशसलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/346 दिनांक 09.11.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1363/PHL/kota/Act/2022/1365 दिनांक 20.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम** मूल पौली पेंक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 17.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ज रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम मूल पौली पक को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण की ओर से दौराने बहस कहा गया कि मेरी फर्म द्वारा निर्मित लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम मे किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। यह कि हमारी फर्म द्वारा निर्मित लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा एक्सपाईरी डेट नहीं होना दर्शाते हुये मिथ्याछाप करार दिया गया है जिसमें वर्तमान में हमारे द्वारा सुधार कर लिया गया है। हमारी फर्म द्वारा निर्मित लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट मे भी शुद्ध पाया गया है। श्रीमान से अनुरोध है कि हमारे विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1363/PHL/kota/Act/2022/1365 दिनांक 20.10.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी को जरिये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जांच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (बंसीवाला मसाले) 500 ग्राम मूल पौली पक खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1363/PHL/kota/Act/2022/1365 दिनांक 20.10.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (Mis Branded) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी कम 1 ता 5 को कुल जुर्माना राशि 51,000/- रुपये (अक्षरे इक्यावन हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)